International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN : 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

कृषि विपणन के समक्ष चुनौतियाँ और समाधान

दुर्गा कुमारी

शोधार्थी वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा।

सारांश :

भारतीय कृषि के सामने न सिर्फ अपने मामले में बल्कि समग्र आर्थिक स्थिति के एक हिस्से के रूप में भी अनेक बड़ी चुनौलियाँ हैं। कृषि की चुनौतियों पर दृष्टिपात् करते हैं तो पाते हैं कि कुछ चुनौतियाँ स्वयं उस (कृषि) क्षेत्र के लिए विशिष्ट हैं, जबकि अन्य चुनौतियाँ कमोबेश बाकी सभी आर्थिक गतिविधियों में समान हैं। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही सरकार ने कृषि उपज को विपणन व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। मण्डियों में व्याप्त कपटपूर्ण पद्धतियों पर रोक लगायी है, भंडार गृहों की स्थापना की है, मध्यस्थों में कमी कर मूल्यों को नियंत्रित किया है। इन सबके बावजूद वर्तमान में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में दोष व्याप्त है। इस अध्याय में कृषि विपणन के समक्ष चुनौतियों और उनके समाधान का विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा।

परिचय :

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है और अब भी है। इसे सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि कृषि पर बड़ी संख्या में लोगों की निर्भरता और औद्योगिकीकरण में कृषि क्षेत्र की भूमिका के रूप में भी देखा जाना चाहिए। देश में कई महत्वपूर्ण उद्योग कृषि उत्पाद (उपज) पर निर्भर हैं जैसे कि वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या फिर लघु व ग्रामीण उद्योग, जिनके अंतर्गत तेल मिलें, दाल मिलें, आटा मिलें और बेकरी आदि आते हैं। आजादी के बाद से भारतीय कृषि ने काफी बढ़िया काम किया है। वर्ष 1950–51 में खाद्यान्न उत्पादन 5.083 करोड़ टन था जो 1990–91 में बढ़कर 17.6 करोड़ टन हो गया। इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 3.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। तिलहन, कपास और गन्ने के उत्पादन में भी इसी प्रकार की वृद्धि दर्ज की गई है। परिणामस्वरूप जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद अनेक कृषि जिन्सों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार आया है। विकास प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस बात का प्रमाण हमें इस तथ्य से पता चलता है कि हाल के वर्षों में सूखे वाले वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन और उससे पहले के अधिक उत्पादन वाले वर्ष के खाद्यान्न का अंतर, पचास और साठ के दशकों की तुलना में कम है। अब हमें कुपोषण या अल्प–पोषण की वजह से अकाल व महामारी जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है जैसा कि सदी के आरम्भिक दौर में करना पड़ता था। मुख्य रूप से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की बदौलत यह स्थिति आयी है। इस समय कुल बुआई क्षेत्र के 32 प्रतिशत हिस्से में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कृषि विकास की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में किसानों

द्वारा आधुनिक तौर–तरीके अपनाया जाना और सरकारी निजी व सहकारी क्षेत्रों में किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थानों के जाल बिछाने से भी मदद मिली है।

भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति :

- हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार अवसरों के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है।
- आँकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्द्धन ;ळट।द्ध में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014–15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019–20 में 16.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है।
- ज्ञात हो कि कृषि में मशीनीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में कमी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार भारत में कृषि का मशीनीकरण 40 प्रतिशत है, जो कि ब्राजील के 75 प्रतिशत तथा अमेरिका के 95 प्रतिशत से काफी कम है। इसके अलावा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता विद्यमान है।
- देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बीते 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र 7.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।
- कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है, किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.15 प्रतिशत ही है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए हैं।

कृषि क्षेत्र की चुनौती और समस्याएँ :

- पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केन्द्रित रही है, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।
- विगत पचास वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद, भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किन्तु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आँकड़े अभी भी निराशाजनक हैं।
- ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है किन्तु यह लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
- लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव, कृषि में प्रच्छन्न रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपान्तरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण ;स्ंदक भ्वसकपदहद्ध में भारी कमी देखी गयी है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1970–71 में औसत भूमि धारण

2.28 हेक्टेयर था जो वर्ष 1980–81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995–96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था।

- उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना किन्तु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुँच ही नहीं पाते हैं।
- भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है, प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ों किसान परिवार बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी–कभी किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, यदि अत्यधिक बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुँचता है और यदि कम बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुँचता है। इसके अतिरिक्त कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है और उनकी मौसम के पैटर्न को परिवर्तन करने में भी भूमिका अदा की है।
- आजादी के 7 दशकों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता।

प्रभाव :

- देश के कृषि क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के परिणामस्वरूप किसान परिवारों की आय में कमी होती है और वे ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं। अंततः उनके समक्ष आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता।
- निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली कृषि आय कृषकों की रुचि पर हानिकारक प्रभाव डालती है और वे खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- इससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक महामारी ब्व्टप्क.19के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है, ऐसे में कृषि पुनः आर्थिक विकास के इंजन और महत्वपूर्ण उपशामक के रूप में चर्चा के केन्द्र में आ गयी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को हटाने से कृषि में निजी निवेश को आकर्षित करने में सहूलियत हुई है। सरकार को अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू के किसानों की विशेष मदद करनी चाहिए, जो निजी निवेश को हतोत्साहित करने वाले नीति शासन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा पारित नए अध्यादेशों से अंतर–राज्य व्यापार को सक्षमकरने और अनुबंध खेती को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे किसानों को बड़ी सहायता प्राप्त होगी। कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीतिगत प्रयासों में अब फसल और पशुधन में जोखिम को समाप्त करने के उपायों में सुधार, बेहतर कृषि–रसद के आधुनिकीकरण

और कृषि बाजारों के निकट, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के प्रावधान के साथ विपणन उपायों के लिए प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू कर दिया है।

कृषि में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- भारतीय कृषि ने निर्वाह कृषि की अवधि से लेकर अधिशेष कृषि उत्पादन को बढ़ाने तक का लंबा सफर तय किया है। यह स्थिति पूरी तरह से कृषि आधारभूत ढाँचे के पारिस्थितिकी–तंत्र के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का आहवान करती है।
- किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने, निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि उत्पादों की ई–ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा बनाने की दिशा में **केन्द्रीय विपणन कानून** का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में कृषि क्षेत्र की गिरती साख का प्रमुख कारण भूमि विखण्डन की स्थिति है। भूमि विखंडन के कारण न तो आशाजनक नतीजे ही प्राप्त हो पाए हैं और न ही कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि हो पायी है। स्पष्ट रूप से इस स्थिति के संदर्भ में गंभीरता से विचार करने तथा इस समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

उपाय :

- कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिये एक महत्वपूर्ण खण्ड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो।
- कृषि व्यय और विकास चालकों में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किये जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। अतः पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए।
- कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाना चाहिये।
- कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु–प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देशभर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की 'क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेज' ;ब्सपउंजम ैउंतज टपससंहमेद्ध की अवधारणा के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्था लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और नीति निर्माण में सहायक हो सकती है।

कृषि सुधार हेतु सरकारी प्रयास :

- राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम

- ➢ राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई–नाम) के तहत बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

- कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017
  - ➢ कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाये जाने हेतु जारी किया गया। जिसमें ई–व्यापार, सब–यार्ड के रूप में गोदामों, शीत भंडारण की घोषणा, मंडी शुल्क एवं कमीशन प्रभार को तर्कसंगत बनाना तथा कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधार शामिल हैं।
- पी.एम.–किसान योजना
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि**;च्ड.झ्ैै।छद्धयोजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
  - ➢ इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- पी.एम.–आशा योजना
  - ➢ सरकार की किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ–साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में एक समग्र योजना **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’** ;च्तंकींद डंदजतप ।ददकंजं ।ल ैंदतोींद ।ईीपलंद दृ च्ड दृ ।ंै।भ्।द्धप्रारंभ की थी।
  - ➢ नयी समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं –

▪ मूल्य समर्थन योजना ;च्तपबम ैनचचवतज ैबीमउम दृ च्ैैद्ध

▪ मूल्य न्यूनता भुगतान योजना ;च्तपबम क्मपिबपमदबल च्ंलउमदज ैबीमउम दृ च्क्च्ैद्ध

▪ निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना ;च्तपअंजम च्तवबनतमउमदज –ैजवबापेज ैबीमउम दृ च्च्ैैद्ध

संभावित उपाय :

○ कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो।

○ कृषि व्यय और विकास चालकों में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिये। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किये जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। अतः पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए।

○ कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्चे को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाना चाहिये। कृषि अनुसंधान एव विकास में नूतन प्रयोग करने की

आवश्यकता है जिससे सूक्ष्म कृषि, उच्च पोषक और प्रसंस्करण किये जाने वाली किस्में जलवायु प्रतिरोधक प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि और बाजार परामर्शों के लिये साइबर कृषि भौतिक प्रणालियाँ विकसित हो सके।

- कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु–प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देशभर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ‘क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेज’ ;ब्सपउंजम ैउंतज टपससंहमेद्धकी आवधारणा के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिये।
- कृषि क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करने के लिये एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्था लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और नीति निर्माण में सहायक हो सकती है।
- भारतीय कृषि में आधुनिक उद्यमिता को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कृषि स्टार्ट–अप्स प्रारंभ करने की आवश्यकता है। स्टार्ट–अप इंडिया योजना के तहत कृषिगत सेवाओं को बढ़ावा दिये जाने से जहाँ एक ओर किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के संदर्भ में प्रोत्साहन प्राप्त होगा, वहीं इससे उनकी आय में वृद्धि भी होगी।
- किसी भी क्षेत्र में सुधारों से संबंधित कार्यवाही की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारों की ही होती है। ज्ञात हो कि कृषि एक राज्य सूची का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका सीमित है। लेकिन जिस प्रकार ळैज्को लागू करने में केन्द्र–राज्यों के मध्य अभूतपूर्व सहयोग देखा गया है। ऐसा ही सहयोग कृषि क्षेत्र में भी अपेक्षित है। कृषि क्षेत्र में भी एकीकृत परिषद् का निर्माण करके कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है।

निष्कर्ष :

विदित है कि भारत में बड़ी कृषक आबादी निवास करती है। यदि यह क्षेत्र समस्याग्रस्त बना रहेगा तो भारत में पहले से ही मौजूद आर्थिक असमानता में और भी वृद्धि होगी तथा समग्र मांग में भी कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये सरकारों द्वारा गंभीर प्रयास देखने को नहीं मिले हैं। अतीत में भूमि सुधार अधिनियम इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब समय की मांग है कि सरकारें इस क्षेत्र को भी गंभीरता से लें तथा एक ऐसी व्यापक रणनीति के आधार पर सुधारों को लागू करने का प्रयास करें जिससे इस क्षेत्र में ढाँचागत परिवर्तन लाया जा सके।

ग्रन्थ–सूची :

1. आचार्य एस.एस., 2004, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
2. अलघ वाई वेफ 2004, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी – एन ओवरव्यू एकेडमिक फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
3. चावला एन. वेफ. एम.पी.जी. क्रय एण्ड विजय पोल शर्मा 2004, एनीमल हसबैंडरी, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।

4. देहा पी.वी. धरै, एण्ड वाई.एस. यादव 2004, फिशरीज डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
5. जलान विमल (ईडी) 1992, दी इण्डियन इकोनोमी, प्रोवलम्ब एंड प्रोस्पेक्ट्स पिजियन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. नारायण एस. 2005, ऑरगैनिक परफॉर्मिंग इन इंडिया, नाबार्ड ओफेजनल पेपर नंबर 38, डेवलेपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुम्बई।
7. सिंह एच.पी. एंड प्रेमनाथ, पी. दत्ता, एम. सुधा 2004, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर ए मिलेनियम स्टडी एकेडमिक फाउण्डेशन, नई दिल्ली। 10 सिंह सुरजीत एण्ड विद्यासागर 2004, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
8. सिन्हा वी. वेफ, 1998, चैलेंजेज इन रूरल, डेवलेपमेंट, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
9. टोडासे मिकाइल पी. 1987, इकोनोमिक डेवलपमेंट इन दी थर्ड वर्ल्ड, ओरियेंट लोंगमैन लिमिटेड हैदराबाद। ई टोप्पे 2004.
10. ऑरगेनिक वैजीटेबिल गार्डनिंग, ग्रो योर ओन वेजिटेबिल्स यूटिन फॉर लेबर स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुम्बई।
11. सरकारी रिपोर्टें –
    1. प्लानिंग कमीशन 2002, सक्सेसफुल गवर्नेंस इनीशिएटिव्स एण्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस : एक्सपीरियेंसिस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कार्डिनेशन विद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपेंट सेंटर एण्ड यूएनडीपी, दिल्ली, 2002
    2. वार्षिक रिपोर्टें, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
    3. बेसिक एनीमल हस्बैंडरी एण्ड फिशरीज स्टेटिक्स, मीनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया।